कैलाशचन्द बनाम जेठाराम वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –33/2020

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 33/2020

प्रार्थी :–

1. कैलाशचन्द पुत्र सोहनराम
2. कालूदेवी पत्नि सोहनराम,
3. जीतेन्द्र पुत्र सोहनराम
4. पूजा पुत्री सोहनराम
5. मनीषा पुत्री सोहनराम
6. भंवरीदेवी पुत्री मिसाराम
7. रामनिवास पुत्र मिसाराम
8. श्रवणराम पुत्र मिसाराम
   जातियान–मेघवाल, निवासीगण–बरसुणा, तहसील–जायल जिला–नागौर।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. जेठाराम पुत्र मेघाराम
2. भंवरलाल पुत्र मेघाराम
3. मांगीदेवी पत्नि मेघाराम
4. सुखाराम पुत्र मेघाराम
   जातियान–मेघवाल, निवासीगण–बरसूणा तहसील–जायल जिला–नागौर
5. बीरबल पुत्र मेहराम
6. शंकरलाल पुत्र मेहराम
7. शैतानराम पुत्र मेहराम
8. हिम्मताराम पुत्र मेहराम
   जातियान–जाट, तहसील–जायल जिला–नागौर (राज.)
9. तहसीलदार जायल।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री एस.एस.कालवी प्रार्थीगण की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर अप्रार्थी सं. 5, 6 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 1 से 4, 7 व 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. अप्रार्थी संख्या 9 उपस्थित।

16/07/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

दिनांक :.....

– : : **आदेश** : : –

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नं. 209 ग्राम–बरसूणा तहसील–जायल स्थित है। इसी प्रकार खेत खसरा नं. चिपता दक्षिण पश्चिम कोने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी का खेत खसरा नं. 207 आया हुआ है तथा इसके पश्चिम में अप्रार्थीगण संख्या 5 से 8 की खातेदारी का खेत खसरा नं. 206 आया है, जो कि आगे पश्चिम में कटाणी मार्ग बरसूणा से पन्नापुरा पर लगता है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आने जाने के लिए इसी कटाणी मार्ग से फटकर अप्रार्थी सं. 5 से 8 की खतोदारी के खेत खसरा नं. 206 की दक्षिणी माठ के अन्दर अन्दर चलकर फिर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी के खेत खसरा नं. 207 की दक्षिणी मांठ के अन्दर अन्दर चलते हुये प्रवेश किया जाता है। इस खेत में जाने के लिए कोई कटाणी मार्ग नहीं लगता है। प्रार्थीगण अपने इस खेत में इसी रास्ता से आवागमन कर सकते है। इसके अलावा ओर कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के इस खेत में जाने का नहीं है तथा इस रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपने खेतो में काश्त करने से वंचित रह रहे है। इसलिए उक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खेत में प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं होने तथा कटाणी रास्ते से नजदीकी रास्ता यही (माफिक नजरी नक्शानुसार) होने से राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो स्वीकार किया जावे। अतः यह प्रार्थना पत्र पेश जाकर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 206 व 207 में प्रार्थना पत्र में नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क अ–ब–स अनुसार 12 फीट चौड़ाई में नियमानुसार देय डी.एल.सी. दर अनुसार प्रतिकर राशि के बदले रास्ता स्वीकृत किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार भू.अभिलेख मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में मार्फत तहसीलदार जायल के मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक : भू.अ./2020/3749 दिनांक 30.12.2020 को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 से

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

8 के सम्मन बावजूद तामील सूचना के प्राप्त होने पर गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थना पत्र के संबंध में मौका रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार जायल जरिये पत्रांक भू.अ./2020/3749 दिनांक : 30.12.2020 के प्राप्त हुई। जिसमें मौका रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रदर्शित की गई :–
   1. यह है कि प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा नं. 209 में प्रवेश हेतु खसरा नं. 206 में से दक्षिणी माठ पर से तथा खसरा नं. 209 में से दक्षिणी–पश्चिमी कोने तक रास्ते की मांग की है।
   2. मांग/प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार निर्माण नहीं है। खसरा नं. 207 के दक्षिणी दिशा में 12 फीट रास्ता छोड़कर भंवरलाल व जेठाराम पि. मेघाराम की ढाणियां बनी हुई है।
   3. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम रास्ता है, उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता प्रार्थी के खेत के लिए नहीं है। खेत खसरा नं. 206 के बीच में से पन्नापुरा कटाणी मार्ग से खसरा नं. 207 के उतर पश्चिम कोने तक रास्ता मौके पर चल रहा है।
   4. प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता भी मौके पर चालू है।
   5. प्रार्थी प्रस्तावित रास्ते के लिए खसरा नं. 206 की 0.0417 हैक्टैयर भूमि तथा खसरा नं. 207 की 0.0362 हैक्टेयर भूमि उपभोग में आयेगी। उक्त खसरान की डी.एल.सी. दर 38599 रू. प्रति बीघा है तथा 18575/– रू. प्रतिकर राशि बनती है।
4. प्रार्थना पत्र के जवाब/प्रारंभिक आत्तियों में विचाराधीन रहते प्रार्थी चेलाराम पुत्र हीराराम मेघवाल की ओर से वकील श्री अम्बालाल पाराशर ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पेश करने पर वकील अप्रार्थी (प्रार्थीगण) से जवाब प्राप्त किया गया। चूंकि प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग का है इसलिए वकुलाय की सहमति पर उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. बाबत् प्रकरण में पक्षकार संयोजित होने बाबत् स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया गया तथा पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नियत की गई।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 5 व 6 ने जवाब/आपत्ति में अंकित किया कि प्रार्थीगण का यह कथन सही है कि प्रार्थीगण वर्तमान में मांगे गये रास्ते से आवागमन करते है तथा वर्तमान में उक्त रास्ता चालू है, जो कि मौका रिपोर्ट में भी बताया

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

गया है। इसी प्रकार प्रार्थीगण का यह कहना भी सही है कि प्रार्थीगण के आवागमन के लिए कटाणी रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थीगण वांछित रास्ता आवागमन के लिए चालू होना स्वीकार कर रहा है तथा प्रार्थना पत्र भी चालू रास्ते को कटाण रखने के लिए पेश किया है।

वकील अप्रार्थी ने आगे मजीद आपत्ति जताते हुये जवाब में अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है तथा उसमें किसी प्रकार की रूकावट न तो प्रार्थीगण मान रहे है तथा न ही मौका रिपोर्ट में ऐसा कथन आया है। जब मौके पर रास्ता चालू है तो प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र लाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त धारा का प्रावधान उनके लिए है, जिनके खेत तक जाने के लिए बंद या रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत में 206 में अप्रार्थी शंकरलाल व हिम्मताराम की रहवासी ढाणी बनी हुई, जिसमें आवागमन के लिए कटाणी रास्ता पन्नापुरा से फंटकर उक्त ढाणी तक जाता है तथा इससे आगे रास्ता खसरा नं. 207/408 में चेलाराम व श्याम की ढाणी तक निर्बाध रूप से वर्तमान में चल रहा है। इस प्रकार आज प्रार्थीगण का रास्ते की मांग की जा रही है तथा कल यदि खसरा नं. 207/408 व 551/207 के खातेदार रास्ते की मांग करेंगे तो अप्रार्थीगण के खेत में से 4 चार रास्ते हो जायेगें तथा अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते में ही चली जायेगी। अप्रार्थीगण ने अन्ततः जवाब में बताया कि अप्रार्थी संख्या 5 व 6 अपने खेत में बनी ढाणी तक जाने वाले रास्ते को कटाणी करने पर सहमत है, यह रास्ता आगे खेत खसरा नं. 207 की पश्चिमी माठ के पास से होकर आगे खसरा नं. 207 की उतरी माठ के पास से होता हुआ प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 209 में घुस जायेगा। उक्त रास्ते से अप्रार्थीगण की ढाणी तक तथा खसरा नं. 207, 207/408, व 209 के कटाणी रास्ता हो जायेगा जो सभी के लिए उपयुक्त रहेगा तथा किसी भी खातेदार को असुविधा नहीं होगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे अन्यथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जावे।

चूंकि प्रकरण में जवाब/आपत्तियां प्राप्त हो चुकी है, मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक भी प्राप्त हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 7 व 8 के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के उपरान्त भी गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क का तथा संक्षिप्त कार्यवाही (Summary

Proceeding) का होने से निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाना होता है। वकुलाय की सहमति पर उक्त प्रकरण में बहस हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

6. दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नं. 209 ग्राम–बरसूणा तहसील–जायल स्थित है। जिसके चिपता दक्षिण पश्चिम कोने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 5 से 8 की खातेदारी का खेत खसरा नं. 207, 206 के स्थित है जिसके पास कि आगे पश्चिम दिशा में कटाणी मार्ग बरसूणा से पन्नापुरा लगता है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आने जाने के लिए इसी कटाणी मार्ग से फटकर अप्रार्थी सं. 5 से 8 की खतोदारी के खेत खसरा नं. 206 की दक्षिणी माठ के अन्दर अन्दर चलकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी के खेत खसरा नं. 207 की दक्षिणी मांठ प्रवेश किया जाता है। प्रार्थीगण अपने इस खेत में इसी रास्ता से आवागमन कर सकते है। इसके अलावा ओर कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के इस खेत में जाने का नहीं है तथा इस रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपने खेतो में काश्त करने से वंचित रह रहे है। इसलिए उक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खेत में प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं होने तथा कटाणी रास्ते से नजदीकी रास्ता यही (माफिक नजरी नक्शानुसार) होने से राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 206 व 207 में से नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क अ–ब–स अनुसार 12 फीट चौड़ाई में नियमानुसार देय डी.एल.सी. दर अनुसार प्रतिकर राशि के बदले रास्ता स्वीकृत किया जावे।

7. वकील अप्रार्थी संख्या 5 से 6 ने वकील प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण वर्तमान में मांगे गये रास्ते से आवागमन करते है तथा वर्तमान में उक्त रास्ता चालू है, जो कि मौका रिपोर्ट में भी बताया गया है। प्रार्थीगण का यह कहना भी सही है कि प्रार्थीगण के आवागमन के लिए कटाणी रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थीगण वांछित रास्ता आवागमन के लिए चालू होना स्वीकार कर रहा है तथा प्रार्थना पत्र भी चालू रास्ते को कटाण रखने के लिए पेश किया है। इस प्रकार जब प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है तथा उसमें किसी प्रकार की रूकावट नहीं होना प्रार्थीगण मान रहे है तो प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र लाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त धारा का प्रावधान उनके लिए है, जिनके खेत तक जाने के लिए बंद या रास्ता नहीं है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत 206 में अप्रार्थी शंकरलाल व हिम्मताराम की रहवासी ढाणी बनी हुई, जिसमें आवागमन के लिए कटाणी रास्ता पन्नापुरा से फंटकर उक्त ढाणी तक जाता है तथा इससे आगे रास्ता खसरा नं. 207/408 में चेलाराम व श्याम की ढाणी तक निर्बाध रूप से वर्तमान में चल रहा है। इस प्रकार आज प्रार्थीगण का रास्ते की मांग की जा रही है तथा कल यदि खसरा नं. 207/408 व 551/207 के खातेदार रास्ते की मांग करेंगे तो अप्रार्थीगण के खेत में से 4 चार रास्ते हो जायेगें तथा अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते में ही चली जायेगी। इसलिए अप्रार्थी संख्या 5 व 6 अपने खेत में बनी ढाणी तक जाने वाले रास्ते को कटाणी करने पर सहमत है, यह रास्ता आगे खेत खसरा नं. 207 की पश्चिमी माठ के पास से होकर आगे खसरा नं. 207 की उतरी माठ के पास से होता हुआ प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 209 में चला जायेगा।

आपत्ति में वर्णन अनुसार रास्ते से, अप्रार्थीगण की ढाणी तथा खसरा नं. 207, 207/408, व 209 के लिए भी कटाणी रास्ता हो जायेगा जो सभी के लिए उपयुक्त रहेगा तथा किसी भी खातेदार को असुविधा नहीं होगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे अन्यथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जावे।

8. पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.06.2020 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वयं के खातेदारी खेत खसरा नं. 209 के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 206 207 में से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है। तहसीलदार जायल के मार्फत प्राप्त भू–अभिलेख मौका रिपोर्ट में प्रार्थी खातेदारी खेत खसरा नं. 209 में प्रवेश हेतु प्रस्तावित रास्ता निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/वांछित रास्ते पर किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण नहीं होना तथा संलग्न नजरीनक्शा में दर्शाये मार्क अ–ब–स मौके पर रास्ता बिना रूकावट व निर्बाध रूप से चालू होना बताया है।

वकील अप्रार्थी संख्या 5 व 6 ने भी प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार किया है तथा साथ ही अपने खेत में बनी ढाणी तक जाने वाले रास्ते रास्ते को कटाणी कर दिये जाने से खसरा नं. 207 की पश्चिमी माठ के पास से होकर आगे खसरा नं. 207 की उतरी माठ के पास–पास प्रार्थीगण के

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

खेत खसरा नं. 209 में चले जाने से खसरा नं. 207, 207/408, व 209 के खातेदारान के लिए रास्ता हो जायेगा जो कि उपयुक्त रहेगा तथा किसी भी खातेदार को असुविधा नहीं होगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे अन्यथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जावे।

उपरोक्त विवेचन, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं मौका रिपोर्ट भू.अ. के अवलोकन से प्रार्थी के खेत खसरा नं. 209 के लिए मौके पर रास्ता चालू होना रिपोर्ट में आया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा भी उक्त रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध किया जाना नहीं पाया गया है। अपितु अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 द्वारा उक्त रास्ते अलावा जवाब/आपत्ति में बताये रास्ता जो कि अन्य खसरान 207, 207/408, व 209 के लिए भी रास्ते का प्रबंध हो जाने का जिक्र किया है।

हमारी राय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशानुसार किसी भी खातेदार काश्तकार को उसके खातेदारी खेत में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता न होने की स्थिति में निकटतम कटाणी रास्ते से नियमानुसार प्रतिकर देय राशि के बदलें में प्रभावित खातेदार/पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर गुणावगुण के आधार पर वैकल्पिक रास्ते का अभाव या रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध पाये जाने पर रास्ता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट भू. अ. एवं आपत्तिया/जवाब अप्रार्थीगण से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को खातेदार खेत में आने जाने के लिए रास्ता बिना रोकटोक, निर्बाध रूप से चलन में है।

इसलिए प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत 209 में कृषि कार्य हेतु वैकल्पिक रास्ता जो कि खसरा नं. 207 व 206 में से बिना विरोध के चलन में है तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होना प्रमाणित नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट 1955 स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

कैलाशचन्द बनाम जेठाराम वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –33/2020

अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 209 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–बरसुणा तहसील–जायल के खसरा नं. 207 व 206 में से 12 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत व घोषित किये जाने के संबंध में प्रार्थीगण की वैकल्पिक रास्ते का अभाव व रास्ते आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध नहीं कर पाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (उ.अ.) जायल

16/06/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल